Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 80/2023

Samirun Nisha ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत BLDR अपील वाद न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज के वाद सं0–23/2023–24 में दिनांक–26.05.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध समय–सीमा अंतर्गत दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–देसियाटोली, थाना सं0–10, खाता सं0–80, खेसरा सं0–954, रकवा–07 डी0 800 वर्गकड़ी विवादित भूमि है। उत्तरवादी द्वितीय पक्ष द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया गया था जिसमें ये उपस्थित हुए किन्तु इन्हें प्रत्युत्तर समर्पित करने का अवसर नहीं दिया गया, जो सही नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। इन्हें प्रत्युत्तर समर्पित करने का अवसर दिया जाना चाहिए था, जबकि समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा भू–हदबंदी अपील सं0–13/2022 में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया था। अपीलार्थी सं0–01 खतियानी शिकमीदार के वैध वारिशान हैं जिन्हें उक्त भूमि लालकार्ड से प्राप्त है। जिसपर ये निवास कर रहे हैं। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो सही नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–02 (द्वितीय पक्ष) के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत भूमि इनके द्वारा विक्रय संलेख सं0–6898 दिनांक–23.12.2020 को क्रय करते हुए नामांतरण वाद सं0–7702/2021 द्वारा इनके पक्ष में जमाबंदी दर्ज है तथा अद्यतन भू–लगान भुगतान किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा जिस लालकार्ड के आधार पर दावा किया जा रहा है उसे समाहर्त्ता, किशनगंज ने सिलिंग अपील सं0–13/2022 में अवैध करार दिया है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर बलपूर्वक फूस–टाटी की संरचना खड़ा करने एवं मारपीट पर उतारू हो जाने के कारण इनके द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर करना पड़ा। इनके पक्ष में अंचलाधिकारी, बहादुरगंज द्वारा प्रश्नगत भूमि का भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र	

Web Copy Not Official.

		निर्गत है तथा सीमांकन हेतु विधिवत् नजारत रसीद कटाया जा चुका है। निम्न न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा उपस्थिति दी गई किन्तु अपने समर्थन में कोई साक्ष्य अभिकथन समर्पित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि वर्णित भूमि पर क्रमशः	
	लगातार 30.11.2023	उनका दावा वैध नहीं है। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में भी कोई दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय ने समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा सिलिंग अपील वाद सं0–13/2022 में पारित आदेश, अंचलाधिकारी, बहादुरगंज के पत्रांक–1842 दिनांक–06.12.2022 द्वारा समर्पित स्थलीय जाँच प्रतिवेदन उत्तरवादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय संलेख एवं भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र, अद्यतन भू–लगान रसीद तथा भू–मापी हेतु जमा शुल्क रसीद आदि समर्पित दस्तावेजीय साक्ष्यों के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो सही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जिस बंदोबस्ती के आधार पर दावा किया जा रहा है उसे समाहर्त्ता, किशनगंज ने भू–हदबंदी अपील वाद सं0–13/2022 में अवैध करार दिया है। निम्न न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाते हुए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए संपुष्ट किया जाता है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख को वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy, Not Official.

Web Copy. Not Official.